

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: पं.6(1)चिस्वा/2/2023 ईफाइल न. 10085

जयपुर,दिनांक:

निदेशक (जन.स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज.जयपुर।

विषय:-डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ,(गायनी) राजकीय जिला
चिकित्सालय सीकर को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण
पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ,
(गायनी) (जन्म तिथि 25.06.1962) राजकीय जिला चिकित्सालय सीकर जो दिनांक 30.06.
2024 को सेवानिवृत्त हो रहे है, के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के
अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
- 2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के
अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. सिंह, के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है,
भी सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, सीकर।
3. डॉ. अश्विनी कुमार सिंह जरिये निदेशक (जन. स्वा.)।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6919934



संयुक्त शासन सचिव
Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.05.05 16:14:16 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-827/2024/118

दिनांक : 15.5.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प06(01)चिस्वा/2/2023/ई-10085 जयपुर दिनांक 05.05.2024
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, सीकर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध आप अपने कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन के संबंध में जांच कर लें।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. डॉ० अश्विनी कुमार सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) द्वारा उनके नियन्त्रण अधिकारी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7157940

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date :14-05-2024 01:08:48